1	2	3
3.	मध्य प्रदेश	पेंच-कन्हान पाथाखेड़ा सोहागपुर मंड-रायगढ़ कोरबा सोनहट बिसरामपुर सिंगरौली
4.	महाराष्ट्र	वर्धा वैली बन्देर कम्पटी
5.	उड़ीसा	तालचेर ईब घाटी
6.	असम	माकुम
7.	मेघालय	वस्ट दारंगगिरी

लालमटिया कोयला परियोजना के मुख्यालय को गुवाहाटी में स्थानांतरित करना

6255. **श्री जनार्दन यादव :** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार स्थित लालमाटा के मुख्यालय जोकि पूर्वी क्षेत्रीय कोयला परियोजना में स्थित है, को गुवाहाटी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थानांतरण के कारण बिहार को होने वाली राजस्व की हानि के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके मुख्यालय को बिहार में ही केन्द्रित रखना चाहती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : : (क) और (ख) बिहार से लालमटिया परियोजना के मुख्यालय को स्थानांतरित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

मध्य प्रदेश में पता लगाये गये कोयला और लिग्नाइट भंडार

6256. **श्री अजीत जोगी :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोयले और लिग्नाइट के भंडार वाले स्थानों का पता लगाय गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां । भारतीय भू-सर्वेक्षण, जोकि देश

में भंडारों के क्षेत्रीय अन्वेषण में कार्यरत हैं, ने मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों में कोयले के भंडार निम्नलिखित स्थानों पर होने के संबंध में सूचना दी है—जोहिला, डमरिया, पेंच, कान्हन–तावा–घाटी, पाथरखेड़ा, गुरूगुडा, मोहापानी, सोहागपुर, सिंगरौली, सोनहट, झिल-मिली, चिरमिरी, विश्रामपुर, लखनपुर। हसदेव–अरोड़, सेन्दुरगढ़, कोरबा, मंड-रायगढ़ तथा तातापानी, रामकौला।

अभी तक मध्य प्रदेश में लिग्नाइट के भंडार होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश में कोयले के कुल भंडार 40280.86 मि. टन होने का अनुमान लगाया है।

कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

6257. **श्री जनार्दन यादव :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने आरोप लंबित हैं ; और

(ख) सरकार इन लंबित आरोपों की जांच करा कर इन्हें कब तक निपटाने का विचार रखती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) कोल इंडिया लि0 के अध्यक्ष के विरूद्ध भ्रष्टा-चार संबंधी कोई आरोप लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

Revision of royalty

6258. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government have received any representations from the State Government of Bihar for the revision of royalty on coal during the last three years;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government have decided to raise the royalty on coal as per the request made by that State; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) Yes, Sir. Government of Bihar have represented for increase in the rates of royalty on coal and its fixation on advalorem basis at 45-55 per cent of price of coal.

(c) and (d) In terms of Section 9(3) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 the revesion in the rates of royalty on coal can be made only on or after August, 1994. A Study Group has already been set up to consider the matter indepth and make suitable recommendations to the Government.

Royalty to coal production States

6259. SHRIMATI KAMLA SINHA:

DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of COAL be pleased to refer to the answer to Unstarred Questions 4273, 4321 and 4327 given in the Rajya Sabha on 25th April, 1994 and state:

(a) whether with the rise in the coal prices, Government propose to pay royalty to the coal producing States at ad-valorem prices; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) The current rates of royalty on coal are specific and not advalorem. As such the rates of royalty do not change with change in coal prices. Since the rates of royalty were last revised on 01.08.